न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 81/2007

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सांवरमल पुत्र राजपाल।
2 श्यामसुन्दर पुत्र राजपाल।
3 परमेश्वरलाल पुत्र राजपाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 11 उपतहसील सुरजगढ़ तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र हरीराम जाति जाट पेशा नोकरी अध्यापक निवासी कुलोठ कला तहसील चिडावा हाल आबाद सूरजगढ़ तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।
2 रमेश कुमार पुत्र गणपत जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं 1 सुरजगढ़ तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील राजस्व विरूद्व निर्णय दिनांक 14.08.07
अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट1955 द्वारा श्री
हरफूल सिंह यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी
चिडावा बउनवानी आवेदन सांवरमल आदि बनाम
जगदीश मुकदमा नम्बर 159/2007

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री गोरधन सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–24.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 159/2007 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2007 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1332/344 के सन्दर्भ में दावा टी.आई. पेश किया विचारण न्यायालय ने 08.06.2007 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की। इसके उपरान्त विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि फर्जी मुख्तयार नामा बनाकर विक्रय पत्र करवाया है विचारण न्यायालय ने गुणावगुण पर विवेचन किये बिना आदेश 1 नियम 10 सी.पी. सी. एवं टी.आई खारिज की है जो विधि विरूद्व है विचारण न्यायालय ने पटवारी एवं गिरदावर की मौका रिपोर्ट की अनदेखी की है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मुख्तयार नामा के जरिये विक्रय पत्र हुआ है जिसमें एफ.आई.आर दर्ज होने पर एफ आर लगा दी गई है। अपीलांट द्वारा दावे व टी.आई से हटकर अनुतोष चाहा गया है। मौके पर हमारे मकान बने हुये है विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधि त्रुटि नही है अपील अपीलांट खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रामस्वरूप पुत्र स्योराम जाट निवासी काकोड़ा व संयज पुत्र गोविन्द गोपाल जाति महाजन निवासी सूरजगढ़ ने क्रय कर नामान्तकरण दर्ज करवा लिया है जो खातेदार काश्तकार हो चुके है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने इनको पक्षकार संयोजित नही किया है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाये बिना प्रथम दृष्तया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नही माने जा सकते है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर